# सूचना-विवरणिका
## (Information Brochure)

# श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर
# आजमगढ़-276128 (उ.प्र.)

(सम्बद्ध : वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर)

## Shri Durga Ji Post-Graduate College, Chandeshwar
## Azamgarh-276128 (U.P.)

परिपालय देवि विश्वम्
श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर-आजमगढ़, उ.प्र.

# प्रवेश सूचना
## (ENTRANCE-2020)

संस्थापक- स्व. पं.चन्द्रबली ब्रह्मचारी

---

Website : https://sdjpgc.in
e-mail : info.sdjpgc@gmail.com
Helpline No:09532230242,9415389674

# श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर आजमगढ़

## ( सम्बद्ध : वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर )

## प्रवेश सूचना, शैक्षणिक सत्र : 2020-21

## प्रवेश सम्बन्धित सूचना (Entrance Exam. 2020-21 Brochure)

शैक्षणिक सत्र-2020-21 में महाविद्यालय में संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों-बी.ए., बी.एस-सी. ( गणित ) वर्ग, बी.एस.-सी. जीव विज्ञान वर्ग, बी.एससी. ( कृषि )- एम.एस.-सी. ( कृषि ) कृषि शस्य विज्ञान एवं एम.एस.सी. ( कृषि ) आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञाग में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से दिनांक 07 सितम्बर-2020 तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। बी.एससी. ( कृषि ), एम.एससी-( कृषि ) पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फार्म भरने के पूर्व निम्न सूचनाओं पर विशेष ध्यान दें–

1. आवेदन कर्त्ता अपना मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करे। इसमें त्रुटि होने पर आगे की सूचनाएं (Login/OTP) बाधित हो जायेगी।
2. पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभ्यर्थी चालान प्रिन्ट करेंगे और निर्धारित आवेदन शुल्क यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा में जमा कर चालान की अपनी प्रति सुरक्षित रखेंगे।
3. निर्धारित आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने के दो कार्य दिवस के बाद अभ्यर्थी पोर्टल पर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करेंगे एवं आगे की सूचना भर कर फार्म दो प्रति में प्रिन्ट कर सुरक्षित रखेंगे।
4. प्रवेश परीक्षा फार्म (Final Submit) करने के पश्चात कोई सुधार संभव नहीं होगा।
5. उपरोक्त सूचनाओं की अनदेखी और लापरवाही से आवेदन-पत्र में किसी त्रुटि से आपको प्रवेश परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. आवेदनकर्त्ता स्वयं का मोबाइल नं., आधार नं. एवं ई-मेल आई.डी. आवेदन फार्म में अंकित करे।

## महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

| क्रमांक | विवरण | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | ऑन लाइन पंजीकरण, आवेदन व शुल्क जमा प्रारंभ | 12.08.2020 |
| 2. | ऑन लाइन पंजीकरण ,आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि | 07.09.2020 |
| 3. | प्रवेश परीक्षा तिथि ( केवल B.Sc.(Hons)-Ag. व M.Sc. Ag. के अभ्यर्थियों के लिये | 20.09.2020 |
| 4. | परीक्षाफल घोषित करने की तिथि ( सम्भावित ) | 30.09.2020 |
| 5. | काउन्सलिंग की तिथि ( बी.ए./बी.एस.सी. ) | 25.09.2020 |
| 6. | काउन्सलिंग की तिथि ( बी.एस.सी. ( कृषि )/एम.एस.सी. ( कृषि ) | 05.10.2020 |

**नोट : अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथियों में यथावश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।**

# महाविद्यालय के बारे में (About the College)

श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर, आजमगढ़-276128 (उ.प्र.) की स्थापना पूज्य पं. चन्द्रबली ब्रह्मचारी जी द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण विकास एवं सामाजिक उत्थान हेतु वर्ष 1958 में मूलतः कृषि महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। कालान्तर अपने विस्तृत स्वरूप में महाविद्यालय में वर्ष 1963 में विज्ञान व शिक्षा संकाय एवं वर्ष 1969 में कला संकाय का सूत्रपात्र हुआ इसी क्रम में वर्ष 1972 में एम.एस.सी. (कृषि)-वनस्पति विज्ञान (वर्तमान में आनुवंशिकी व पादप प्रजनन) विभाग एवं वर्ष 1982 में एम.एस.सी. (कृषि)-शस्य विज्ञान के पाठ्यक्रमों द्वारा गहन व शोध-उन्मुख ज्ञान की आधार शिला रखी गयी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के साथ ही यहां कृषि विषयों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के द्वारा स्वीकृत जौ अनुसंधान परियोजना (1979-1984) के अन्तर्गत जौ प्रजनन में महत्वपूर्ण शोध कार्य हुए।

स्थापना वर्ष से यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था, परन्तु वर्ष 1987 से यह अद्यतन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध है। यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 (f) एवं 12 (B) के तहत मान्यता प्राप्त है। यह महाविद्यालय उ.प्र. के पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, जिसे कृषि, विज्ञान, कला एवं शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट छात्र पैदा करने के लिए जाना जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्येत्तर गतिविधियों जैसे एन.सी.सी. (NCC), एन.एस.एस. (NSS), रोवर्स/रेंजर्स, खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी कुशलतापूर्वक संचालित किया जाता है। महाविद्यालय में उ.प्र. सरकार के समाज कल्याण एवं उ.प्र. कृषि मण्डी परिषद की छात्रवृत्ति (केवल कृषि छात्रों को उनके योग्यता क्रम में) की सुविधा भी उपलब्ध है। यह महाविद्यालय आजमगढ़ जिला मुख्यालय से 6 किमी. दूरी पर आजमगढ़-गाजीपुर मार्ग पर अवस्थित है।

# पाठ्यक्रम-विवरण

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या | न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बी.एस.सी. ( आनर्स )-कृषि | 8 सेमेस्टर ( चार वर्षीय ) | 120 | इण्टरमीडिएट ( 10+2 ) कृषि या विज्ञान बायो या मैथ ग्रुप |
| 2. | बी.एस.सी. ( आनर्स ) बायो एवं मैथ ग्रुप | तीन वर्षीय | 260 ( 130+130 ) | इण्टरमीडिएट ( 10+2 ) विज्ञान ( बायो या मैथ ग्रुप ) |
| 3. | बी.ए. ( आनर्स ) | तीन वर्षीय | 508 | इण्टरमीडिएट ( 10+2 ) कला या कृषि या विज्ञान या वाणिज्य |
| 4. | एम.एस.सी.-कृषि ( शस्य विज्ञान एवं आनुवंशिकी व पादप प्रजनन ) | 4 सेमेस्टर ( द्विवर्षीय ) | 15+15=30 | बी.एस.सी. कृषि/बी.एस.सी. ( आनर्स ) कृषि ( 10+2+4 प्रणाली ) |
| 5. | बी.एड. | चार सेमेस्टर ( द्विवर्षीय ) | 50 | उ.प्र. शासन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के संस्तुत अभ्यर्थियों को ही प्रवेश |

**नोट : सीटों की संख्या यथावश्यक निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय ( घटना-बढ़ना ) है।**

# आरक्षण (Reservation)

**पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।**

| क्रमांक | लम्बत् (Vertical) आरक्षण ( मुख्य श्रेणी ) | | क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण ( उप श्रेणी ) | |
|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी | प्रतिशत | श्रेणी | प्रतिशत |
| 1. | अनुसूचित जाति (SC) | 21 | महिला | 20 |
| 2. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 02 | दिव्यांग | 3 |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 27 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | 2 |
| 4. | आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS*) | 10 | | |

* उ.प्र. शासन के कार्मिक अनुभाग-2 सं. 5/2019/4/1/2002 का-2/2019 टी.सी.1, दिनांक 13 अगस्त, 2019

**नोट : आरक्षण उत्तर प्रदेश के प्रभावी नियमों के अनुसार दिया जायेगा।**

# प्रवेश प्रक्रिया (Enterance Process)

महाविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में निम्नवत् के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी :

(i) बी.एस.सी. ( आनर्स )-कृषि एवं एम.एस.सी.-कृषि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिखित परीक्षा के अंकों एवं अर्ह-अधिभार (eligible weightage) के भारांकों के योग द्वारा सृजित मेरिट सूची के आधार पर लिया जायेगा।

(ii) बी.ए. एवं बी.एस.सी. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश इण्टरमीडिएट में प्राप्त अंक प्रतिशत एवं अर्ह-अधिभार (eligible weightage) प्रतिशत के योग द्वारा सृजित मेरिट सूची के आधार पर लिया जायेगा।

( iii ) एम. एस सी.- कृषि, में विषय का चयन काउसिंलिग के दौरान मेरिट के आधार पर निश्चित होगा ।

# अर्ह-अधिभार (Eligible-Weightage)

| क्रमांक | अधिभार की श्रेणी | भारांक | भार प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | महाविद्यालय के छात्र/संस्था से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र | 10 | 05 |
| 2. | NCC (a). NCC- ए -प्रमाण-पत्र<br>(b). NCC- बी- प्रमाण-पत्र<br>(c). NCC- सी -प्रमाण-पत्र | 04<br>06<br>10 | 02<br>03<br>05 |
| 3. | रोवर्स/रेंजर्स<br>(a). राज्य स्तरीय समागम राज्यपाल/राष्ट्रपति पुरस्कृत<br>(b). विश्वविद्यालय के अन्तर महाविद्यालयी समागम<br>(C). प्रवीण/निपुण/ जनपदीय समागम | 10<br>06<br>04 | 05<br>03<br>02 |
| 4. | एन.एस.एस. (NSS)<br>240 घण्टे कार्य का प्रमाण पत्र<br>240 घण्टे कार्य एवं एक शिविर<br>240 घण्टे कार्य एवं दो शिविर | 02<br>04<br>06 | 01<br>02<br>03 |
| 5. | खेलकूद<br>(a). राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/अन्तर विश्वविद्यालयीय<br>(b). विश्वविद्यालय के अन्तर महाविद्यालयीय/ मंडलीय खेलकूद | 10<br>04 | 05<br>02 |

नोट :1- क्रम संख्या एक के अतिरिक्त दो श्रेणी ( क्रमांक 2-5 तक ) से अधिक एक साथ नहीं जुटेगें ।

2- भारांक = प्रवेश परीक्षा का पूर्णांक x भार प्रतिशत /100

# प्रवेश परीक्षा पद्धति

बी.एस.सी. ( आनर्स )-कृषि एवं एम.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न के लिए दो-दो अंक निर्धारित है, इस प्रकार सम्पूर्ण प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।

बी.एस.सी. ( आनर्स )-कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित लिखित परीक्षा का प्रतिरूप (Pattern) निम्नलिखित है :

| क्रमांक | विषय | प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | सामान्य अध्ययन | 25 |
| 2. | कृषि के सभी विषय | 50 |
| 3. | विज्ञान ( भौतिक/रसायन/जीव विज्ञान ) | 25 |
| | कुल प्रश्न | 100 |

नोट : बी.एस.सी. ( आनर्स ) कृषि पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्रों का स्तर संबंधित विषय के इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

एम.एस.सी. ( कृषि ) के पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा 200 अंको की एवं प्रश्न पुस्तिका का प्रारूप निम्नलिखित है :

| क्रमांक | विषय | प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | ( अ ) सामान्य अध्ययन | 25 |
| | ( ब ) बी.एस.सी. कृषि के सभी विषयों से सम्बन्धित प्रश्न | 75 |
| | कुल प्रश्न- | 100 |

नोट : एम.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों का स्तर कृषि विज्ञान विषय के स्नातक स्तर का होगा।

## प्रवेश परीक्षा केन्द्र

बी.एस.सी. ( आनर्स )- कृषि एवं एम.एस.सी. ( कृषि ) पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा महाविद्यालय परिसर में सम्पन्न करायी जायेगी।

प्रवेश पत्र : लिखित परीक्षा हेतु प्रस्तावित तिथि से एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

## सामान्य नियम व अनुदेश (General Rules and Instructions)

1. चूँकि प्रवेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, अतः ऑनलाइन माध्यम से अन्तिम तिथि तक या अन्तिम तिथि के भीतर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों ही को प्रवेश की अग्रेत्तर प्रक्रिया हेतु स्वीकार किया जायेगा।
2. प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित समस्त सूचनाएं महाविद्यालय के औपचारिक वेबसाइट http://sdjpgc.in पर ही डाली (upload) जायेगी अतः सभी अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे प्रवेश से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिये महाविद्यालय के औपचारिक वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।
3. महाविद्यालय के किसी भी कक्षा ( स्नातक/स्नातकोत्तर ) के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त करने के लिये न्यूनतम अर्हत यथाविहित इण्टरमीडिएट/स्नातक ) धारित करने के बाद दो वर्षों से अधिक का अंतराल अनुमन्य नहीं है। एक या दो वर्ष के अन्तराल वाले अभ्यर्थियों को यथावश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।
4. अभ्यर्थियों को अलग-अलग कक्षाओं में प्रवेश के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन पत्र को सभी कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. आरक्षण के सम्बन्ध में उ.प्र. शासन के नियम प्रभावी होंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद श्रेणी (Catergory) में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है।
7. प्रवेश के समय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर उ.प्र. शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुरुप अद्यतन जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।
8. अभ्यर्थियों को संगत पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता निर्धारित करना अनिवार्य है और इस आशय का मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। मूल शैक्षिक/जाति/टी.सी./प्रवजन/चरित्र प्रमाण पत्र के आभाव में प्रवेश संभव नही होगा।

9. अनसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के अभाव में इनकी सीटें अनुसूचित जाति में स्थानान्तरणीय होगी। यदि इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी दशा में इन सीटों को सामान्य योग्यता सूची के आधार पर ही भरा जायेगा।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS), दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों को यथाविहित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अद्यतन निर्गत मूल जाति/आनुषांगिक प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11. यदि अभ्यर्थी का किसी पाठ्यक्रम में किसी भी कारण से गलत प्रवेश हो जाता है/ले लेता है तो उसका प्रवेश किसी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

12. प्रवेश/काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित रहने अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा करने में असफल रहने पर मेरिट सूची से अगला प्रवेश दे दिया जायेगा एवं ऐसी दशा में बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

13. महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अन्तिम सर्वाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

14. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और यदि कोई अभ्यर्थी गलत सूचना के आधार पर प्रवेश पा जाता है तो पता लगने पर उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

15. किसी भी कक्षा में निर्धारित सीट से कम आवेदन प्राप्त होने की दशा में प्रवेश योग्यता प्रदायी परीक्षा के प्राप्तांको के अधार पर होगा।

16. किसी भी दशा में प्रवेश आवेदन शुल्क वापस नही होगा।

## प्रवेश आवेदन शुल्क विवरण

| क्रमांक | कक्षा/पाठ्यक्रम | श्रेणी | निर्धारित शुल्क रु. |
|---|---|---|---|
| 1. | बी.एससी. ( आनर्स )-कृषि | अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) | 500/- |
| | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 250/- |
| 2. | बी.ए./बी.एससी. | अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) | 250/- |
| | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 150/- |
| 3. | एम.एससी.-कृषि | अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) | 600/- |
| | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 300/- |